

-2-

(x)- स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x)- वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2013 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सामने चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि संलग्न कार्यों में से कोई कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनांतर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(xii)- उक्त कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि ₹ 0.70 लाख का बजट आबंटन, वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22, के अन्तर्गत अलॉटमेंट आई0डी0 सं0- 51302220016 दिनांक 01-02-2013 के द्वारा आपको आर्बिट कोड सं0- 4227 Chief Engineer PWD में कर दिया गया है।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22-लेखाधीन-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कों-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 033(A)/XXVII(2)/2012 दि0: 01फरवरी, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवतीय,

(अमित सिंह नेगी)
अपर सचिव

संख्या:- 767 (1)/11(2)/13-48(प्रौ0आ0)/2012 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त कुमारी मण्डल, नैनीताल।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य अभियन्ता, कुमारी, बोत्र, लो.नि.वि., अल्मोड़ा।
5. सम्बन्धित मुख्य/परिचय कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ/राज्य योजना आयोग उत्तराखण्ड शासन।
8. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
9. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
10. गाडे बुत।

अज्ञा से,

M.P.H.

(भविष्य)
अनु सचिव

संख्या:- 767 / 11(2)/13-40(मा0आ0)/2012

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून दिनांक: 01 फरवरी, 2013

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2012-13 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता कु0भे0, लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा द्वारा संलग्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये विभिन्न कार्यों के प्रथम चरण के प्रारम्भिक आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 27.50 किमी0 तथा लागत ₹ 348.18 लाख है, पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि ₹ 348.18 लाख (₹ तीन करोड़ अड़तालीस लाख अठारह हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात् कुल 07 कार्यों हेतु कुल धनराशि ₹ 0.70 लाख (₹ सात हजार मात्र) की अनुमति, महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0:-1764/11(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (ii)- आगणन में उद्विखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शीड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- (iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।
- (iv)- कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
- (v)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- (vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्चोरमेन्ट रूलस-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त विज्ञापन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट गैजट के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- (vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-08-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य करते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (viii)- उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में संभाव्य व्यय अनुदान सं0-22-लेखाधीन-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-05-सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण-00-24 उक्त निर्माण कार्य में विभागीय आय-व्यय में प्राविधानित निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

JPL/H1

-3-

शासनादेश संख्या: 767 (1)/111(2)/13-48(प्रो310)/2012 दिनांक 01 फरवरी, 2013 का संलग्नक
(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	कार्य का नाम	लम्बाई किमी० में	टी०ए०सी० विल्ट द्वारा आंकलित धनराशि ।	चालू वित्तीय वर्ष में व्यय हेतु अनुमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5
1	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र-भिकियासैण में भगास-उडीमहादेव-सीलापानी-भिकियासैण मोटर मार्ग का नवनिर्माण।	2.50	31.50	0.10
2	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत पोखरी-गेरगांव मोटर मार्ग से कपिलेश्वर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (24 मी० स्पाय स्टील गर्डर पुल सहित) का प्रारम्भिक आगमन।	10.00 + 24 मी० स्पाय	127.68	0.10
3	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत न्यायपंचायत ग्राम सिरसोड़ा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य का प्रारम्भिक आगमन।	4.00	50.40	0.10
4	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर में धौलादेवी-खेती मोटर मार्ग से सिद्धी के रोम मन्दिर तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।	1.00	12.60	0.10
5	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा जागेश्वर के अन्तर्गत तोली से गैघून तक लिंक मार्ग का निर्माण।	2.00	25.20	0.10
6	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा जागेश्वर में विकास खण्ड धौलादेवी के अन्तर्गत बाराकूना से चौना तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	5.00	63.00	0.10
7	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा जागेश्वर में मेलगांव-दीला, धितौला मोटर मार्ग का निर्माण।	3.00	37.80	0.10
	योग:-	27.50	348.18	0.70

(र सत्तर हजार मात्र)

(महिमा)
अनु सचिव